(14)

संख्या बी–3–1879/दस–2006–125/75 मो०वा०

प्रेषक,

डा० बी०एम० जोशी,
सचिव, वित्त (बजट),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश
एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2006

विषयः– राज्य कर्मचारियों को साईकिल अग्रिम।

महोदय,

वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–3

राज्य कर्मचारियों को साईकिल अग्रिम स्वीकृत किये जाने विषयक शासनादेश संख्या बी–3–4622/दस–89–125/75 मो०वा०, दिनॉक 29 जुलाई, 1989 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि साईकिल अग्रिम हेतु वे ही कर्मचारी पात्र होगें जिनका दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में मूलवेतन रूपये 5000 प्रतिमाह अथवा कम हो। साईकिल क्रय हेतु अनुमन्य अग्रिम की धनराशि रूपये 1500 अथवा साईकिल का मूल्य, जो भी कम हो, होगी।

2– राज्य कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली, अधिकतम 30 मासिक किस्तों में की जायेगी।

3– यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगें।

4– वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड–5, भाग–1 में तदनुसार आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायेगी।

भवदीय,
बी०एम० जोशी,
सचिव, वित्त (बजट)।

संख्या बी–3–1879(1)/दस– 2006, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।

2–महालेखाकार, (आडिट) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०, इलाहाबाद।

3–सचिवालय के समस्त अनुभाग।

4–विधान परिषद तथा विधान सभा सचिवालय।

5–राज्यपाल सचिवालय।

6–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

7–वित्त (लेखा) अनुभाग–1 को वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में आवश्यक संशोधन हेतु।

आज्ञा से,
नील रतन कुमार,
उप सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 25 सा० वित्त–30–8–2006–(1579)–5,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)